फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मायादेवी बनाम मैनेजिंग ऑफिसर व अन्य

विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 ०/ /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
22.06.2023	अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित एव राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। विविध प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मियाद के बिन्दू पर एवं पुर्नवास अधिनियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है या नही के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि प्रकरण सख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगगानगर व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 में अप्रार्थीया संख्या 02 मायादेवी पत्नी बचन सिह जाति बावरी साकिन खाराखेडा तहसील टीबी जिला हनुमानगढ के नाम से पार्टी बनाया जाकर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थीया मायादेवी पत्नी श्री बूटाराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी , जिला हनुमानगढ है। प्रार्थीया को सही नाम से पार्टी ना बनाया जाने के कारण ही प्रार्थीया प्रकरण सख्या 38/2016 में उपस्थित नहीं हो सकी। मियाद के बिन्दू पर प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया को श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2018 का ज्ञान उपखण्ड अधिकारी, सादूलशहर के समक्ष अनवानी अमरजीत कौर बेवा गुरदीप सिंह जाति बावरी मुकदमा प्रार्थना पत्र भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र संख्या 26/2019 के रूप में पंजीबद्व हुआ जिसका भी कोई नोटिस प्रार्थीया को नहीं दिया गया , परन्तु उक्त कार्यवाही के बारे में प्रार्थीया को अपने मुख्त्यारेआम की मार्फत पता चला जिस पर प्रार्थीया के मुख्त्यारेआम ने श्रीगंगानगर आकर और अधिवक्ता से मिल कर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तो इस आदेश दिनांक 29.06.2018 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 20.06.2023 को हुआ और उसी दिन ही नकल की दरख्वास्त दी तथा नकल प्राप्त कर यह आवेदन पत्र बिना किसी देरी के अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें एव रिकॉर्ड मगवाया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई : 1. सिविल प्रकिया संहिता 1908 पेज-64-65 2. सिविल प्रकिया संहिता 1908 पेज-160 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगगानगर व अन्य में पारित आदेश दिनाक 29.06.2018 जो डी.पी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 के तहत पारित आदेश के विरूद्व पेश किया गया है जो लगभग 5 वर्ष बाद पेश किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है। अत्यधिक विलम्ब से पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में तय किया गया है कि अगर किसी अधिनियम में कोई मियाद नहीं दी गई तो वहा अधिकतम छः माह या अधिकतम 1 वर्ष में विधिक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका आगे यह भी कथन है कि यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रार्थीया मायादेवी पत्नी श्री बूटाराम जाति बावरी	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी , जिला हनुमानगढ द्वारा पेश किया गया है जबकि इस न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर व अन्य में प्रार्थीया मायादेवी पत्नी श्री बूटाराम जाति बांवरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी , जिला हनुमानगढ पक्षकार नहीं थी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने की अधिकारी नही है। उनका आगे यह भी कथन है कि मूल प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर व अन्य में डी.पी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 के तहत आदेश दिनांक 29.06.2018 को पारित किया गया था और डी.पी.सी एण्ड आर एक्ट 1954 में पूर्व में पारित आदेशो को रिव्यू करने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए इस न्यायालय के आदेश दिनाक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनको आगे यह भी कथन है कि डी.पी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 रिपिल हो चुका है इसलिए अब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 जो डी.पी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 के तहत पारित आदेश के विरूद्व पेश किया गया है जो लगभग 5 वर्ष बाद पेश किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश करने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह निर्धारित किया गया है कि अगर किसी अधिनियम में कोई मियाद नहीं दी गई हो तो वहां अधिकतम छः माह या अधिकतम 1 वर्ष में विधिक कार्यवाही की जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थीया मायादेवी पत्नी श्री बूटाराम जाति बांवरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी , जिला हनुमानगढ द्वारा पेश किया गया है जबकि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर व अन्य में प्रार्थीया मायादेवी पत्नी श्री बूटाराम जाति बांवरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी , जिला हनुमानगढ पक्षकार नहीं थी। इसलिए प्रार्थीयां को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने की अधिकार नहीं है। मूल प्रकरण संख्या 38/2016 अनवानी अमरजीत कौर बनाम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर व अन्य में डी.पी (सी एण्ड आर) एक्ट 1954 के तहत आदेश दिनांक 29.06.2018 को पारित किया गया था और डी.पी.सी एण्ड आर एक्ट 1954 में पूर्व में पारित आदेशो को रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर